

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2012/12(120)/XXVII(8)/2001

दिनांक:: देहरादून:: 18 सितम्बर, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

(अ) अनुसूची-1 के क्रमांक 35 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्-

35(क).खादी कपड़ा एवं खादी से निर्मित सभी प्रकार के वस्त्र एवं खादी कपड़े द्वारा निर्मित यथा रजाई, गद्दे, गद्दी एवं तकिये के खोल।

35(ख).अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०), वाणिज्य कर द्वारा सत्यापित इकाइयाँ, जिनकी वार्षिक सकल बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है द्वारा उत्पादित निम्न वस्तुएँ:- दियासलाई, आतिशबाजी, कपूर, गोंद व राल, नारियल की जटा से भिन्न रेशा तथा हाथ से निर्मित वस्तुएँ यथा कागज, कागज बोर्ड, फाईल कवर, फाईलबोर्ड, ड्राइंगपेपर, बधाई पत्र एवं आमंत्रण पत्र।

साथ ही विभागीय अधिकारियों के गलत Interpretation के कारण यदि दिनांक 01-10-2005 से लेकर इस अधिसूचना के निर्गत होने की तारीख तक खादी के वस्त्र व कपड़ों पर कोई कर लगाया गया हो, तो ऐसे कर माफी का अधिकार करनिर्धारण अधिकारी को निम्न प्रतिबन्धों के साथ दिया जाता है:-

1. कर निर्धारण अधिकारी लेखा पुस्तकों की जाँच पर संतुष्ट हों कि करदाता ने इस प्रकार की बिक्री पर कोई कर वसूल नहीं किया है।
2. कर माफी से पूर्व अपने सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) से पत्रावली सहित उच्चानुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. ऐसे करदाता जिन्होंने उक्त अवधि में ग्राहकों से कर वसूल किया है, वे नियमानुसार कर जमा करायेंगे।

सं० 758 / 2012 / 12(120) / XXVII(8) / 2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन०आई०सी०
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 758/2012/12(120)/XXVII(8)/2001 dated 18 September, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 758/2012/12(120)/XXVII(8)/2001

Dehradun :: Dated: : 18 September, 2012

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendments in Schedule-I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment


(1). In Schedule-I, for the existing entry at serial no. 35, the following entry shall be substituted; namely-

35(a). Khadi cloth and all types of khadi garments and made-ups of khadi such as covers of rajaai, gadda, gaddi and pillows.

35(b). The following products manufactured by the units, having turnover upto Rs. 50 Lakh per annum, certified by All India Khadi and Village Industries Commission or the Uttarakhand Khadi and Village Industries Board and verified by the Joint Commissioner (Executive):- Safety matches, fire crackers, kapoor, gum and resin, fibres other than coconut fibres and handmade goods such as paper, paperboard, filecover, fileboard, drawingpaper, greeting cards and invitation cards.

Further due to the wrong interpretation by the departmental officers, if any tax has been imposed on khadi cloth and khadi garments from 1-10-2005 till the issuance of this notification, the power to remit such tax shall be exercised by the assessing authority with the following restrictions-

1. The assessing officer on examination of books of account feels satisfied that the assessee has not realised any tax on such sales.
2. The assessing officer shall seek the approval on file from the Joint Commissioner (Executive) Commercial tax of his area before remission of tax.
3. Such dealers, who have realised the tax from the purchaser shall deposit the tax as per rules.


(Radha Raturi)
Secretary.